कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक(वन बल प्रमुख), राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 21 (9) 2025–26/विकास/प्रमुवस/ 15856344 **दिनांकः** 12/06/2025

<u>कार्यालय आदेश</u>

मुख्य वन संरक्षक,भरपुर के पत्र क्रमांक1703 दिनांक 11.06.2025 एवं मुख्य वन संरक्षक,जोधपुर के पत्र क्रमांक 4244 दिनांक 11.06.2025 से प्राप्त प्रस्तावानुसार नवीन नर्सरी हेतु बजट मद 4406–वानिकी तथा वन्यजीव पर पूंजीगत परिव्यय, 01–वानिकी, 800–अन्य व्यय, 01–फार्म वन विद्या (राज्य निधि), 63–वृक्षारोपण में वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु निम्नानुसार अतिरिक्त बजट आवंटन किया जाता है।

मुख्य वन संरक्षक	कार्य का नाम	आवंटित राशि (रू.लाखो में)
मुख्य वन संरक्षक, भरतपुर	केन्द्रीय पौधशाला भूतनाथ नर्सरी	178.70
मुख्य वन संरक्षक,जोधपुर	सिन्दरू सुमेरपुर में नई हाईटेक नर्सरी की स्थापना	90.00
	योगः–	268.70

कृपया आवंटित बजट के संबंध में निम्न कार्यवाही शीघ्र किया जाना सुनिश्चित करायेः–

1. उक्त आंवटन में यदि बचत हो तो वह राशि इस आवंटन दिनांक से 15 दिवस के अन्दर समर्पित कर दी जायें।
2. कार्यो को प्रारम्भ करने से पूर्व प्राक्कलन की स्वीकृति नियमानुसार सक्षम स्तर से आवश्यक रूप से जारी की जावे अथवा करा ली जावें तथा राज्य सरकार के वित्तीय निर्देशो की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जायें।
3. बजट का उपयोग सामान्य वितीय एवं लेखा नियमो, वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर उपापन (Procurement) एवं व्यय के संबंध में जारी परिपत्रों, कोष नियम एवं अन्य संबंधित नियमो के अनुसार एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशो की पालना करते हुए बजट सीमा में करे। इन नियमो/आदेशो की अवहेलना करने वाले अधिकारी अनियमितताओ के लिये व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
4. वन विकास कार्यो को यथाशीघ्र प्रारम्भ करवाना सुनिश्चित किया जावे।

(टी.जे.कविथा)
अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक,(विकास)
राजस्थान,जयपुर

क्रमांक एफ 21 (9) 2025–26/विकास/प्रमुवस/ 15856344 **दिनांकः** 12/06/2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत प्रेषित हैः–

1. मुख्य वन संरक्षक,भरतपुर/जोधपुर।
2. वित्तीय सलाहकार, वन विभाग, जयपुर ।
3. प्रभारी अंकमिलान (लेखा शाखा)/संकलन शाखा (सांख्यिकी अनुभाग)/कम्प्यूटर शाखा (वेबसाईट पर अपलोड हेतु)/रक्षी पत्रावली।

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक,(विकास)
राजस्थान,जयपुर

Signature valid
Digitally signed by T J Kavitha
Designation : Additional Principal Chief Conservator of Forest (APCCF)
Date: 2025.06.12 17:50:46 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15856344